न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

बइजलास श्री राजेश कुमार नायक आर.ए.एस.

राजस्व वादसंख्या 101/2018

अनवान

1. भुराराम पुत्र सदासुख जाति मेघवाल नि मौखा खालसा तहसील कोलायत जिला बीकानेर (राजस्थान)

वादी

वनाम

1. मुरलीराम
2. बिरमाराम } पिसरान सदासुख
3. भुराराम पुत्र मानाराम
4. मानाराम पुत्र भीखाराम
5. सुरजाराम
6. गोपुराम,
7. हरजीराम, } पिसरान चान्दाराम
8. भुराराम
9. लक्ष्मणराम } पिसरान आदुराम
10. गोमती पत्नी स्व किशनाराम
11. शंकरलाल
12. सुन्दरलाल
13. छोटुराम, } पिसरान किशनाराम जाति मेघवाल निवासीगण मोखा खालसा तह कोलायत जिला बीकानेर ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व कोलायत

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्री राधाकिशन स्वामी वकील वादी
2. श्रीहनुमानगिरि वकील प्रतिवादी
3. पैरोकार राज कोलायत

निर्णय दिनांक 19/7/19

वादीगण द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम झझु तहसील कोलायत के खसरा नं. 1511 रकबा 8.42 हैक्टैयर व खसरा नं. 1508 रकबा 22.42 हेक्टैयर खातेदारी कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी –

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत, जिला–बीकानेर

लगातार पेज

–संख्या 1 से 13 के नाम से सयुक्त खाता में स्थित है । जिसमे खसरा नं. 1511 में रकबा 8.42 हैक्टैयर में वादीका 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 से 13 का 1/4 हिस्सा है । व खसरा नं. 1508 में रकबा 22.42 हैक्टैयर में वादीका 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 से 13 का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 हिस्सा 3.47 हैक्टैयर व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का हिस्सा 1.01 हैक्टैयर दर हिस्सा 1/5 खातेदारी भूमि है । जिसमें सभी सहहिस्सेदारेा का बाहमी बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त है । वकिल वादी ने निवेदन किया है कि परिवार बढ़ जाने के कारण कोनसा हिस्सा किस काश्तकार का है । तथा सीमा ज्ञान को लेकर अक्षर सभी काश्तकारो में हमेशा विवाद बना रहता है । तथा के.सी.सी लोन आदि में सभी को अनेको कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है । इस लिये वादी खाता विभाजन करवाने की गरज से उक्त दावा प्रस्तुत कर रहा है । जो बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस अच्छी से अच्छी मंदी से मंदी भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहता है । दिनांक 14.10.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करवाने का कहा तो वह स्पष्ट इंनकार हो गये । जिससे वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद कारण हासिल हुआ है । व तहसीलदार राजस्व कोलायत को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है । जिससे कोई रिलीफ नही लेनी है । इस प्रकार उक्त दावा वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के द्वारा पेश कर खाता तकसीम कर अलग से लगान कायम करने का अनुतोष चाहा गया है । सर्वप्रथम वाद दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की और से अभिभाषक उपस्थित आया व दिनांक 05.07.2019 को जवाब दावा प्रस्तुत किया कि वाद के पैरा संख्या 02 में वर्णित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर दिया जाता है तो प्रतिवादी गण को कोई एतराज नही है । ग्राम झझु के खसरानं. 1511 में रकबा 8.42 हैक्टैयर में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 से 13 का 1/4 हिस्सा है । व खसरा नं. 1508 में रकबा 22.42 हैक्टैयर में वादीका 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 से 13 का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का हिस्सा 3.47 हैक्टैयर व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का हिस्सा 1.01 हैक्टैयर दर हिस्सा 1/5 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है ।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

लगातार पेज सं. 03

—मुताबिक वाद पत्र व जवाब दावा अनुसार वाद पत्र स्वीकार कर बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी करने का अनुतोष चाहा हमने उभय पक्ष द्वारा पेश किये गये वाद पत्र एवं जवाब दावा एवं समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया जिसमें वादगत भूमि वादी व प्रतिवादी के नाम सयुक्त खाते में दर्ज रिकार्ड है । तथा प्रत्येक खातेदार को अपना खाता विभाजन करवाने का उपचार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 मे उपलब्ध है । ताकि एक खातेदार अपना अलग से खाता विभाजन करवाकर अपनी भूमि का बेहतर तरीके से सुधार कर सकता है । वह वित्तीय संसाधन जुटाकर अधिक उपजाऊ बना सकता है । जबकि सयुक्त खातेदारी होने पर इन कार्यो पर अक्सर सहमति नही बन पाती उक्त प्रकरण मे वादी व प्रतिवादीगण ने भूमि पर अपना कब्जा काश्त लम्बे अर्से से बाहमी विभाजन अनुसार होना बताया है ।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है और प्राथमिक डिकी जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है कि वादी के हिस्से में खसरा नं. 1511 में रकबा 8.42 हेक्टैयर में 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 से 13 का 1/4 हिस्सा व खसरा नं. 1508 में रकबा 22.42 हैक्टैयर में वादी का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 10 से 13 का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का हिस्सा 3.47 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का हिस्सा 1.01 हैक्टैयर दर हिस्सा 1.5 खातेदारी भूमि को वादी एव प्रतिवादी गण के नाम से अलग अलग खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम कर अलग अलग रंगो में दर्शित करते हुये इस आश्य का प्रस्ताव तैयार कर 10 दिन मे इस न्यायालय में भिजवावे ताकि पक्षकारान को अन्तिम डिकी विभाजन बाबत मंजुर कि जा सके निर्णय अनुसार डिकी पर्चो बनाया जावे निर्णय एवं प्राथमिक डिकी की एक प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जावे ।

निर्णय आज दिनांक 19/7/14 को सरेइलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला—बीकानेर